

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :  
जीवाजी विश्वविद्यालय,  
महाविद्यालयीन विकास परिषद्  
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : 0091-(0751)  
2442828 (कार्यालय)

E-mail :  
jiwajidcdc@gmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2017/ 3787

दिनांक : 27.03.2017

## निरीक्षण समितियों हेतु आवश्यक सूचना

1. निरीक्षण समितियां निरीक्षण दिनांक को ही निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर अगले कार्यदिवस में डी.सी.डी.सी. कार्यालय में जमा करेंगी।
  2. सभी कमेटी मेम्बर निरीक्षण दिनांक को प्रातः 8:00 बजे रसायन विभाग पर एकत्रित होंगे जहां से निरीक्षण दल निरीक्षण हेतु खाना लिए जायेंगे।
  3. निरीक्षण समितियों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सैड्यूल के अनुसार ही महाविद्यालयों का निरीक्षण किया जावे। महाविद्यालयों को निरीक्षण की सूचना सम्बद्धता शाखा द्वारा प्रदान की जावेगी।
  4. निरीक्षण दल के सभी सदस्यों को निरीक्षण में जाना अनिवार्य है किसी विषय परिस्थिति में निरीक्षण में न जा पाने की छूट माननीय कुलपति महोदय द्वारा ही दी जावेगी।
  5. सभी निरीक्षण दल महाविद्यालय द्वारा भरे जाने वाले निरीक्षण प्रोफार्मा को DCDC कार्यालय से आवश्यक रूप से प्राप्त करें एवं सभी सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज भी प्रोफार्मा के साथ संलग्न होना चाहिए।
- समिति का पंजीयन सर्टिफिकेट एवं वर्तमान सदस्यों की सूची
  - शासन द्वारा प्रदान किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र
  - महाविद्यालय में 28(17) के अंतर्गत कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ की सूची एवं टेबल फोटो युक्त नियुक्ति पत्र, चयन समिति के कार्यविवरण एवं उनको दिये जाने वाले वेतन से संबंधित कागजात

- जमीन के दस्तावेज
  - भवन के अनुमोदित नक्शे की प्रति
  - शासी निकाय की बैठकों का विवरण
  - कॉलेज कॉउंसिल की बैठकों का विवरण
  - लाइब्रेरी एवं प्रयोगशालाओं के स्टॉक रजिस्टर की फोटो प्रति
- 
- पिछले सत्र की संबद्धता की अधिसूचना
  - पिछले सत्र की निरीक्षण में लगाई गई शर्तों की शर्त पूर्ती के दस्तावेज
  - महाविद्यालय भवन में लगाये गये सी.सी.टी.वी. कैमरों का विवरण
  - जनरेटरी की उपलब्धता के दस्तावेज
  - इंटरनेट की उपलब्धता के संबंध में दस्तावेज
  - शिक्षकों की सूची फोटो सहित विश्वविद्यालय पर दर्शायी वेबसाइट के अनुरूप
6. भवन की फोटो, टीचिंग स्टाफ की निरीक्षण दल के साथ फोटो, लाइब्रेरी की फोटो आवश्यक रूप से संलग्न करें।
  7. निरीक्षण की सीडी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाना है।
  8. प्रोफार्मा के चौथे कॉलम में शॉर्ट फाल का स्पष्ट उल्लेख (निरीक्षण समिति के द्वारा भरा जाना है) तथा निरीक्षण के दिन प्रोफार्मा पर प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं सील दिनांक सहित लगाना आवश्यक है।
  9. निरीक्षण समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं पर प्रतिवेदन दिया जाना आवश्यक है।
    - महाविद्यालय लीज किराये/स्वयं के भवन में संचालित है।
    - महाविद्यालय में प्रति 50 छात्र कितने क्लास रूम है।
    - महाविद्यालय में प्रयोगशालाएँ कितनी है।
    - 28/17 में वर्तमान में कितने शिक्षक कार्यरत है। इसकी टेबल रिपोर्ट के साथ संलग्न है। सुनिश्चित करें।